

**रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उद्यम)

**सतर्कता प्रभाग**  
**कारपोरेट कार्यालय**  
कोर-IV, स्कोप कॉम्प्लैक्स,  
7-लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

**परिपत्र सं. 7/2001**

परियोजना कार्यालयों के सतर्कता निरीक्षण के दौरान यह बात ध्यान में आई है कि अधिकांश मुख्य परियोजना प्रबंधक स्कीमों आदि के मॉनीटरन/मूल्यांकन के लिए गैर-कार्यपालकों को दौरे पर भेज देते हैं। अधिकारियों की बजाए अधिकारियों के स्तर से नीचे के कार्मिकों द्वारा की मॉनीटरन /मूल्यांकन से दिशा-निर्देश में यथा-निर्धारित मॉनीटरन/मूल्यांकन का निहित उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

अतः यह सलाह दी जाती है कि भविष्य में स्कीमों के मॉनीटरन /मूल्यांकन के लिए केवल अधिकारियों को नियोजित किया जाए।

इसे मुख्य सतर्कता अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह0/-  
(एस. मजूमदार)  
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी  
दिनांक 17.10.2001

सं. आरईसी/सतर्कता/II(198)/98/443

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त)/मुख्य सतर्कता अधिकारी, आरईसी लि., नई दिल्ली के सहायक निदेशक
2. कार्यकारी निदेशक, आरईसी लि., नई दिल्ली
3. सभी महाप्रबंधक, कारपोरेट कार्यालय, आरईसी
4. सभी मुख्याधिकारी, कारपोरेट कार्यालय, आरईसी
5. सभी मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय, आरईसी/सायर, हैदराबाद
6. मास्टर फाइल/कार्यालय प्रति